न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) जायल जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार प्रथम आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या– 82/2018

1. हडमानदान पुत्र भीकदान उम्र वयस्क
2. रामचन्द्र पुत्र भीकदान उम्र वयस्क
दोनो जाति चारण निवासीगण सुरपालिया,
तहसील जायल, जिला नागौर

——————वादीगण

बनाम

1. माडकंवर बेवा पाबूदान
2. माणककंवर पुत्री पाबूदान, जातियान चारण निवासीगण सुरपालिया, तहसील जायल
3. बस्तुकंवर पुत्री पाबूदान, पत्नि श्रेणीदान, जाति चारण, निवासी राजापुरा, तह डेगाना
4. नैनकंवर पुत्री पाबूदान, पत्नि गोपालसिंह जाति चारण, निवासी हाल दिल्ली,
5. विक्रमसिंह पुत्र शेषकरणदान, जाति चारण, निवासी खारिया कल्ला, तहसील व जिला पाली
6. तहसीलदार जायल वास्ते राजस्थान सरकार

..... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0एक्ट 1956

उपस्थित अधिवक्ता–
1– श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी एडवोकेट वादीगण की और से।
2– श्री इस्लामुदीन काजी एडवोकेट प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की और से।
3– श्री सुरेन्द्र बेडा एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 5 की और से।
3– प्रतिवादी संख्या 6 के विरुद्ध ईकतरफा कार्यवाही है।

:: निर्णय ::

दिनांक –28.08.2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण दोनो आपस में सगे भाई है। इनके एक और भाई किशोरदान थे जो आज से करीब 30 साल पहले नाऔलाद फौत हो गये जिनके वारिसान वादीगण संख्या 1 व 2 ही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 वादीगण के काका श्री पाबूदान के वारिसान है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

इनमे से प्रतिवादी नं. एक उनकी पत्नि है। तथा प्रतिवादी 2 से 4 उनकी पुत्रियां है तथा प्रतिवादी संख्या 5 उनकी स्वर्गीय पुत्री सुप्यार कंवर का पुत्र है। श्री पावूदान करीब 20 साल पहले फौत हो चुके है। वादीगण तथा इनके भाई स्व. किशोरदान तथा स्व. पावूदान की संयुक्त खातेदारी की भूमियां मौजा सुरपालिया के अलावा मौजा निम्बोड़ा तहसील जायल मे खसरा नं. 75 रकबा 25.04 बीघा आई हुई थी। मौजा निम्बोड़ा का खेत खसरा नं0 75 शूरू से ही वादीगण तथा उनके पिता के ही कब्जे काश्त का था तथा उन्ही के बंट मे आया हुआ था लेकिन विभाजन किया तब सुरपालिया के खेत तो खातें में अलग अलग दर्ज हो गये परन्तु मौजा निम्बोड़ा के खेत खसरा नं. 75 में राजस्व रेकर्ड में स्व. पावूदान का नाम साथ रह जाने से उन्होने आगे कोई विवाद न हो इसलिए दिनाक 15.10.1985 को हकतर्कनामा वादीगण तथा स्व. किशोरदान के हक में लिखकर रजिस्टर्ड उसी दिन करवा दिया था। लेकिन इस हकतर्कनामा का राजकीय रेकर्ड में अमल दरामद संभावतया पटवारी हल्का की लापरवाही से नही हो पाया। इतने समय तक पक्षकारान मे सदभाव था तथा कभी रेकर्ड को देखने का काम ही नही पडा तथा वादीगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ लोग है जिन्हे इन सब बातो का ज्ञान नही था तथा काश्त इस खेत पर वे शांतिपूर्वक कर रहे थे। इसलिए वादीगण को इस तथ्य का ध्यान ही नही था कि तर्कनामा का अमल दरामद नही हुआ है। अभी कुछ दिन पूर्व वादी रामचन्द्र के पुत्र नारायणदान ने किसान केडिटकार्ड बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त की तो उसे पता चला कि आधा खाता तो अभी पावूदान के उतराधिकारियो के नाम ही बोल रहा है। यह फौतगी नामान्तरकरण कब व कैसे हुआ वादीगण को जानकारी नही है। लेकिन इसमे स्व. पावूदान की स्व. पुत्री सुप्यार कंवर के पुत्र विक्रमसिह प्रतिवादी संख्या 5 का नाम क्यों नही आया वादीगण को जानकारी नही है लेकिन आवश्यक पक्षकार होने से उसे भी पक्षकार बनाया है। यह जानकारी होने के बाद वादीगण ने हकतर्कनामा पटवारी हल्का को दिया लेकिन उसने यह कह कर नामान्तरकरण करने से ईंकार कर दिया कि इतने पुराने तर्कनामा का नामान्तरकरण अब नही हो सकता आप दावा करके ही खातेदारी की घोषणा करवाओ। इसलिए यह दावा वास्ते घोषणा खातेदारी के लिए पेश किया जा रहा है। राज सरकार इन सबो में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है। यह जानकारी हो जाने के बाद अब प्रतिवादीगण की नीयत में भी फर्क आ गया है। तथा वे इस खेत मे अपना नाम रेकर्ड में होने के कारण बेचान करने की बाते करने लगे है तथा गांव के कुछ बाहुबली लोग इस खेत को खरीदने के लिए भी तैयार हो रहे है। जो लाठी के बल पर कब्जा करने वाले लोग है। अगर प्रतिवादीगण ऐसा करने में कमायाब हो गये तो वादीगण को वह नुकसान होगा जो किसी भी मुआवजा पर पूरा नही होगा तथा क्षति अपूर्णीय होगी। इसलिए यह दावा वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा के लिए भी पेश किया जा रहा है।

इस पर वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार जायल बावजूद तामील गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से पहले श्री दशरथ सिंह राठोड़ एडवोकेट वकालता नामा पेश किया। इसके बाद पक्षकारों के राजीनामा हो जाने से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की और से वकालत नामा तथा ईकबाली जवाब श्री ईस्लामुदीन काजी एडवोकेट तथा प्रतिवादी संख्या 5 की और से वकालत नामा तथा ईकबाली जवाब श्री सुरयेन्द्र बेडा एडवोकेट ने पेश किया। पक्षकारो के बीच राजीनामा हो जाने तथा ईकबाली जवाब पेश होने से तनकीयात कायम करने की आवश्यक्ता नही होने से प्रकरण में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये। तथा साक्ष्य की आवश्यक्ता नही होने से साक्ष्य वादीगण नही ली गई।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, नागौर

Scanned by CamScanner

प्रकरण में वादीगण के वकील की बहस सुनी गई। वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजीनामा होकर ईकबाली जवाब पेश होने के कारण वाद को डिक्री करके राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी करने का अनुरोध किया। तथा राजीनामा हो जाने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी की आवश्यकता नही होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों जमाबंदी तथा हकतर्कनामा की प्रति से से यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि मौजा निम्बोड़ा का खेत खसरा नं0 75 रकबा 25.04 बीघा वादीगण तथा इनके भाई स्व. किशोरदान तथा स्व. पाबूदान की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी। तथा श्री पाबूदान ने दिनांक 15.10.1985 को हकतर्कनामा वादीगण तथा स्व. किशोरदान के हक में लिखकर रजिस्टर्ड करवा दिया था। लेकिन इस हकतर्कनामा का राजकीय रेकर्ड में अमल दरामद नही हुआ है। इस स्थिति में मेरी राय में वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है। राजीनामा हो जाने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी की आवश्यकता नही है। अतः प्रस्तुत वाद वादीगण की इस्तदुआ के अनुसार निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :-

1. कि यह घोषणा की जाती है कि मौजा निम्बोडा तहसील जायल की भूमि खसरा नं. 75 रकबा 25.04 बीघा अकेले वादीगण की खातेदारी की है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

सुरेश कुमार प्रथम आर0ए0एस0
सहायक कलक्टर, जायल।
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार प्रथम आर0ए0एस0
सहायक कलक्टर, जायल
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner